रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड—3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 286] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 8, 1974/कार्तिक 17, 1896
No. 286] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 8, 1974/KARTIKA 17, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

Secretariat Li

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November 1974

G.S.R. 460(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Act, 1974 (37 of 1974), and of all other powers enabling it in this behalf, the Central Government hereby frames the following Scheme in respect of employees, other than employees of Government and Local Authorities namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) This Scheme may be called the Additional Emoluments Compulsory Deposit (Employees other than employees of Government and Local Authorities) Scheme, 1974.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 6th day of July, 1974.

2. **Definitions.**—In this Scheme, unless the context otherwise, requires—

(a) "Act" means the Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Act, 1974 (37 of 1974);

(b) "bank" means—

(i) the State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955);

(ii) a subsidiary bank as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959);

(iii) a corresponding new bank constituted under section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer) Undertakings Act, 1970 (5 of 1970); and

(iv) any other bank being a bank included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);

(c) "deduction" means the amount deducted under section 6 from the emoluments of an employee;

(d) "deposit office", in relation to the nominated authority specified in column (2) of the First Schedule, means the deposit office specified in the corresponding entry in column (4) of that Schedule;

(e) "employee" means an employee of an establishment and includes—

(i) an employee of the Central Government or of any State Government or local authority who is on deputation to such establishment; and

(ii) an employee of the Central Government or of any State Government or local authority who is on deputation to the services of a company or any other corporation including a society or body, or any individual, association of persons or body of individuals, or any establishment, specified in clauses (c) to (h) of section 3;

(f) "establishment" means an establishment specified in clauses (f) to (h) of section 3 and includes a company, any other corporation, including a society or body, and any individual, association of persons or body of individuals, specified in clauses (c) to (e) of that section;

(g) "Form" means a form set out in the Second Schedule;

(h) "ledger account", in relation to an employee, means the account maintained in Form 'F';

(i) "nominated authority", in relation to the specified authority of an establishment situated within the jurisdiction specified in column (3) of the First Schedule, means the authority specified in the corresponding entry in column (2) of that Schedule;

(j) "paragraph" means a paragraph of this Scheme and "sub-paragraph" means a sub-paragraph of the paragraph in which it occurs;

(k) "Schedule" means a Schedule appended to this Scheme;

(l) "section" means a section of the Act;

(m) "specified authority" means the authority specified in paragraph 3.

3. **Specified authorities.**—The specified authority shall be—

(a) in relation to employees of an establishment, the employer; and

(b) in relation to employees employed by or through a contractor under the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), the employer who engages such contractor.

4. **Allotment of code numbers.**—(1) In respect of an establishment in existence on the date of publication of this Scheme in the Official Gazette, within fifteen days of such date and in respect of an establishment coming into existence at any time after such date, within fifteen days of the coming into existence of such establishment, every specified authority shall furnish—

(a) the names and addresses of his establishment; and

(b) the names of the owners, occupiers, directors, partners, managers or any other person or persons who have the ultimate control over the affairs of the establishment:

Provided that any change in the particulars specified in this paragraph shall also be furnished by the specified authority within fifteen days of the occurrence of such change:

Provided further that where the specified authority has furnished the information required under this paragraph to the nominated authority before the date aforesaid, he shall not be required to furnish the same again:

Provided also that where an employer has two or more establishments or branches at the same place or different places, the employer, who has the ultimate control over the affairs of the establishment or branch may, with the approval of the nominated authority having jurisdiction over the area where the office of such employer is situated, decide whether one or more specified authorities would be necessary and the specified authority or authorities so decided upon, shall furnish the required particulars specified in this paragraph.

(2) The nominated authority shall, on receipt of the information referred to in sub-paragraph (1), allot a code number to the specified authority and intimate the same to the latter.

5. Specified authority to furnish particulars of revision of wages or dearness allowance.—Every specified authority shall, within ten days of the publication of the Scheme in the Official Gazette, furnish by registered post to the nominated authority, a copy of the award, decree or order of any court, tribunal or other authority, or agreement or settlement relating to wage revision or revision of dearness allowance and where any revision of wages or dearness allowance is made otherwise than in the manner aforesaid, an intimation setting out the full particulars of such revision of wages or dearness allowance:

Provided that where any such revision of wages or dearness allowance is effected after the publication of this Scheme in the Official Gazette, the employer shall furnish the particulars specified above within ten days of the date of such revision:

Provided further that where the specified authority has furnished the information required under this paragraph to the nominated authority before the date aforesaid, he shall not be required to furnish the same again.

6. Manner of deductions of compulsory deposit.—Every deduction shall be rounded off in the manner specified in section 11:

Provided that where the deductions are made at a time for two or more wage periods, the deduction on account of each such period shall be rounded off.

7. Remittance of deductions from employees.—The specified authority shall, within fifteen days of the close of every month, remit in the manner hereinafter specified, the total amount of deductions from the emoluments disbursed for the month, including deductions in respect of employees who draw their own emoluments.

(2) Every remittance in respect of the Additional Wages Deposit Account and Additional Dearness Allowance Deposit Account shall be made by a cheque or demand draft which shall be:

(a) drawn on a bank situated at the same station as the deposit office is situated;

(b) marked 'account payee' and made out in favour of "Regional Provident Fund Commissioner—A.E. (C.D.) Wages Account" or "Regional Provident Fund Commissioned—A.E. (C.D.) Dearness Allowance Account", as the case may be;

(c) tendered, or sent by registered post, to the deposit office, together with a challan in duplicate in Form 'A' or in Form 'B', as may be appropriate.

(3) Where any remittance is made by a demand draft, the bank issuing such draft shall issue to the specified authority a certificate of payment in Form 'C'.

(4) Where any remittance is made by a cheque, the deposit office shall issue to the specified authority a receipt in Form 'D'.

(5) The specified authority shall, within five days of tendering, or sending by registered post, a cheque or demand draft, send to the nominated authority a statement in Form **'E'**.

(6) The deposit office shall send to the nominated authority, the duplicate of Form 'A' or of Form 'B' referred to in clause (c) of sub-paragraph (2), duly receipted.

(7) In the case of an employee employed by or through a contractor he shall furnish such information as may be required by the specified authority to enable such authority to comply with the provisions of this Scheme.

8. Ledger account.—A separate ledger account, in relation to the Additional Wages Deposit Account and Additional Dearness Allowance Deposit Account, in the name of every employee shall be opened and maintained by the specified authority in Form 'F' or as near thereto as may be.

9. Nomination.—(1) An employee may nominate in Form 'G' or as near thereto as may be, one or more persons who shall be entitled to receive the amount standing to his credit in the ledger account together with the interest thereon, in the event of his death before the last annual instalment has become repayable or having become repayable has not been repaid.

(2) Where the amount together with interest, referred to in sub-paragraph (1) is repayable to two or more nominees, and either or any of them dies before such repayment is made, the amount shall be paid to the surviving nominee or nominees.

(3) A nomination made by the employee may be cancelled or changed by a fresh nomination in Form 'H', or as near thereto as may be.

(4) Every nomination and every cancellation thereof or change thereto shall be effective from the date of its receipt by the specified authority and shall be noted in the ledger account.

(5) If the nominee is a minor, the employee may appoint any person, to receive on behalf of such minor until such minor attains the age of majority, the amount due in the event of death of the employee.

(6) Where an employee has not made any nomination, the amounts standing to his credit in the ledger account, including interest thereon, shall, in the event of his death, be payable:

(a) to all members of the family in equal shares:

Provided that the widow or widows, the child or children of the deceased son shall receive between them in equal parts only the share which that son would have received if he had survived the employee;

(b) if there is no family, to any person who produces a probate or letters of administration or a succession certificate issued under the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) entitling the holder thereof to receive such payment:

Provided that if the total amount involved does not exceed two thousand and five hundred rupees, the specified authority may, waive the requirement of production of such probate or letters of administration or succession certificate and pay the amount to the person appearing to it to be entitled to receive such amount.

Explanation.—(a) In this sub-paragraph, 'family', in relation to an employee, means:

(i) in the case of a male employee, his wife, his children, whether married or unmarried, his dependent parents and the widow and children of his predeceased son, if any;

(ii) in the case of a female employee, her husband, her children, whether married or unmarried, her dependent parents and the widow and children of her predeceased son, if any.

(b) Where the personal law of an employee permits the adoption by him of a child, any child lawfully adopted by him shall be deemed to be included in his family, and where a child of an employee has been adopted by another person and such adoption is, under the personal law of the person making such adoption, lawful, such child shall be deemed to be excluded from the family of the employee.

10. **Interest.**—Every deduction shall earn simple interest at the rate specified in sub-section (1) of section 7 from the first day of the month in which such deduction is remitted to the nominated authority:

Provided that if the bank deposit rate is changed after the first day of a month, the revised rate of interest shall take effect from the first day of the succeeding month:

Provided further that no interest shall accrue in the month in respect of any deductions relating to—

(a) additional wages and additional dearness allowance for any period of the same month; or

(b) additional wages and additional dearness allowance in consequence of any wage revision or otherwise, including arrears paid to an employee after the tenth day of that month:

Provided also that no interest shall accrue on any amount from the month in which it has become due for repayment and has been tendered to the employee or his nominee, as the case may be, and such employee or nominee has failed for any reason to receive such amount.

11. Maintenance of account by nominated authority.—(1) The nominated authority shall, in relation to the specified authority, maintain an account in Form 'I' separately for Additional Wages Deposit Account and Additional Dearness Allowance Deposit Account.

(2) (a) The nominated authority shall verify at the end of every year whether the balances and the interest indicated in the account maintained in Form 'I' tally with the annual abstract of ledger account in Form 'N' sent by the specified authority under sub-paragraph (3) of paragraph 14;

(b) if the nominated authority notices any inconsistency, he shall, in consultation with the specified authority, remove such inconsistency.

12. Repayments.—(1) The specified authority shall assess, separately for additional wages and additional dearness allowance, the amounts required for the purpose of making repayments under sub-section (2) of section 9 and make an application to the nominated authority in Form 'J' before the last day of June each year.

(2) The nominated authority shall:

(a) with reference to the account maintained in Form 'I', arrive at the total amount together with interest repayable by the specified authority; and

(b) make available to the specified authority the amount so arrived at, but not exceeding the amount asked for under sub-paragraph (1).

(3 The specified authority shall disburse the amounts repayable to the employee within ten days of the receipt of the same from the nominated authority and furnish to the nominated authority within three days of disbursement particulars thereof in Form 'K'.

(4) Where, for any reason, the whole or any part of the amount made available by the nominated authority under sub-paragraph (2) cannot be disbursed within ten days of its receipt, the specified authority shall refund the undisbursed amount as if it were a remittance of deductions, following the procedure set out in sub-paragraph (2) of paragraph 7 and every challan in Form 'A' or in Form 'B' according as the undisbursed amount relates to additional wages or additional dearness allowance shall be superscribed with the words "Refund of undisbursed amount" in red ink.

(5) Where any repayment is to be made under the third proviso to sub-section (1) of section 9, the specified authority shall make an application in Form 'J'.—

(a) ten days in advance, before an employee retires on superannuation; and

(b) in any other case, immediately on the occurrence of an event necessitating repayment;

and in making repayments, the specified authority and the nominated authority shall follow the procedure specified in sub-paragraphs (1) to (4).

13. Adjustment of accounts on the transfer of employee.—(1) On the transfer of an employee from the jurisdiction of one specified authority to another, whether within the jurisdiction of the same nominated authority or otherwise, the specified authority from whose jurisdiction the employee is transferred (hereinafter referred to as the transferor specified authority) shall—

(a) complete the ledger account by posting therein all the deductions, including those made during the month of transfer, and the interest earned by the deductions upto the end of the month preceding that of transfer.

(b) make a suitable note of the transfer in the ledger account and close it to 'nil' balance;

(c) forward by registered post an authenticated copy of the ledger account together with his latest nomination form (in original) to the specified authority to whose jurisdiction the employee has been transferred (hereinafter referred to as the transferee specified authority); and

(d) prepare an abstract in Form 'L' of the account transferred and supply—

(i) three copies to the transferee specified authority if such authority functions within the jurisdiction of the same nominated authority or four copies if the transferee specified authority functions within the jurisdiction of a different nominated authority; and

(ii) one copy to the nominated authority in whose jurisdiction the transferor specified authority functions.

(2) On receipt of the ledger account, the nomination form and the abstract, the transferee specified authority shall—

(a) tally the abstract with the authenticated copy of the ledger account;

(b) send one copy of the abstract, duly reeeipted, back to the transferor specified authority;

(c) forward the remaining copy or copies of the abstract, as the case may be, duly receipted, to its nominated authority;

(d) open a ledger account in respect of the transferred employee by entering therein the amounts of deposits and the interest standing to his credit on the date of his transfer as shown in the authenticated copy of the ledger account received from the transferor specified authority and indicating prominently in the remarks column of the ledger aecount that the entries are by transfer; and

(e) with reference to the authenticated copy of the ledger account and the abstract, calculate and credit the interest as admissible on the deposits for the months for which it has not been credited earlier.

(3) Where an employee is transferred from the jurisdiction of one specified authority to another and the jurisdiction of the nominated authority is the same, the nominated authority shall, on receipt of the copy of the abstract from the transferor specified authority, await the receipted copy of the abstract from the transferee specified authority and after verifying whether the copy received from the transferor specified authority is the same as the one received from the transferee specified authority, make necessary entries in the accounts of both the specified authorities concerned.

(4) Where as a result of the transfer of an employee, the nominated authority is a different authority, the nominated authority in whose jurisdiction the transferor specified authority functions, shall, on receipt of the copy of the abstract referred to in sub-clause (ii) of clause (d) of sub-paragraph (1), from the transferor specified authority:

(a) await the receipted copy of the abstract from the transferee specified authority through the nominated authority under whom the transferee specified authority functions and after verifying whether the copy received from the transferor specified authority is the same as the one received from the transferee specified authority, make necessary entries in the ledger account of the transferor specified authority; and

(b) inform the deposit office as well as the nominated authority under whom the transferee specified authority functions, the amounts transferred.

(5) In regard to cases falling under sub-paragraph (4), the nominated authority under whose jurisdiction the transferee specified authority functions, shall—

(a) make necessary entries in the account of the transferee specified authority;

(b) forward one copy of the receipted abstract to the nominated authority under whose jurisdiction the transferor specified authority functions; and

(c) inform the deposit office of the amounts received by transfer.

(6) In this paragraph, the transferee specified authority and the nominated authority under whom the transferee specified authority functions include the corresponding authorities specified in—

(a) the Additional Emoluments Compulsory Deposit (Government Employees) Scheme, 1974; and

(b) the Additional Emoluments Compulsory Deposit (Local Authority Employees) Scheme, 1974.

14. **Annual statement of account of employees.**—(1) The specified authority shall, as soon as possible after the close of one year from the appointed day, and at the close of every succeeding year, supply to every employee a statement of account in Form 'M'.

(2) The employee shall communicate to the specified authority his acceptance or reasons for non-acceptance of the balances in his ledger account within one month of the receipt of the statement of account.

(3) The specified authority shall, within six weeks of the close of each year referred to in sub-paragraph (1) send to the nominated authority an abstract of the ledger account for the establishment as a whole in Form 'N'.

(4) The specified authority shall afford the employee, if the latter so desires, all reasonable facilities for verifying the entries shown in the statement of account with those in the ledger account.

15. Certificate of deductions.—The specified authority shall issue to every employee liable to make a compulsory deposit under the Compulsory Deposit Scheme (Income-tax Payers) Act, 1974 (38 of 1974), a certificate in Form 'O' showing the credits other than interest) in his ledger account during the year ending 31st March, within one month of the close of the said year.

16. **Issue of duplicate documents.**—In the event of loss or destruction of the annual statement of account supplied under sub-paragraph (1) of paragraph 14 or of the certificate of deductions issued under paragraph 15, the specified authority shall, on a request made to it in this behalf, issue a duplicate copy to the employee and the specified authority may charge a fee not exceeding fifty paise per copy for the issue of such duplicate copy.

17. **Recovery of arrears.**—(1) Where, for any reason, the specified authority makes any remittance for credit to the deposit account later than the last day specified in sub-paragraph (1) of paragraph 7, he shall:

(a) for the period the remittance has not been made, deposit with the Government Treasury the amount representing interest on the delayed remittance at the rate specified under section 23 with the challan in Form 'P' in quadruplicate; and

(b) attach a copy of the receipted challan obtained from the Treasury, to the documents accompanying the remittance under sub-paragraph (2) of paragraph 7.

(2) If during the course of inspection under sub-section (2) of section 20 or otherwise, any omission or delay in the credit or remittance of any amount which ought to have been credited to the Additional Wages Deposit Account or Additional Dearness Allowance Deposit Account or remitted to the nominated authority, as the case may be, comes to the notice of the nominated authority or any person authorised in this behalf, such authority or person shall require the specified authority in relation to which such omission or delay has come to notice to make forthwith the necessary deductions or remittance, as the case may be, and deposit the amount in accordance with sub-paragraph (1).

18. **Audit of accounts**—(1) Where the accounts and other relevant records of any establishment are required to be audited by an auditor, such auditor shall also audit the accounts and other relevant records maintained under this Scheme by the specified authority and forward the audit report thereon to the nominated authority.

(2) (a) Without prejudice to anything contained in sub-paragraph (1) the accounts and other relevant records maintained under this Scheme by the specified authority and the nominated authority in respect of the Additional Wages Deposit Account and the Additional Dearness Allowance Deposit Account shall be open to audit by the Comptroller and Auditor-General of India or any person appointed by him in this behalf.

(b) The specified authority and the nominated authority shall preserve the aforesaid accounts and other relevant records for a period of three years after the deposits and interest due thereon have been repaid or till the period the objections, if any, raised by the Comptroller and Auditor-General of India have been settled, whichever is later.

First Schedule

[*See Paragraph* 2 (*d*) *and* (*i*)]

Statement showing the nominated authorities, their jurisdiction and branches of the Reserve Bank of India/State Bank of India (Deposit Offices) authorised to receive remittances on their behalf.

Serial No.	Nominated Authority and address	Jurisdiction	Deposit Office
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Regional Provident Fund Commissioner (Andhra Pradesh), Gandhi Bhavan, Mukha Ram Jahi Road, HYDERABAD.	The State of Andhra Pradesh and the Yanam area of the Union territory of Pondicherry.	Reserve Bank of India, Hyderabad.
2.	Regional Provident Fund Commissioner (Assam), Shanti Nivas, Laitumkhrah, SHILLONG-3.	The States of Assam, Nagaland Manipur, Meghalaya and Tripura and the Union territories of Mizoram and Arunachal Pradesh.	State Bank of India, Shillong.
3.	Regional Provident Fund Commissioner (Bihar), Patliputra Path, Rajender Nagar, PATNA-16.	The State of Bihar	Reserve Bank of India, Patna.
4.	Regional Provident Fund Commissioner (Gujarat), Dalal Wada Opposite Electricity House, Relief Road, Lal Darwaja, AHEMDABAD.	The State of Gujarat and the Union territory of Dadra and Nagar Haveli.	Reserve Bank of India, Ahmedabad
5.	Regional Provident Fund Commissioner, (Karnataka), Glenburn, No. 8 Residency Road, Bangalore-25.	The State of Karnataka.	Reserve Bank of India, Bangalore.
6.	Regional Provident Fund Commissioner (Kerala), T. C. No. 13/256-256A, Near Residency Road, Thycaud, TRIVANDRUM.	The State of Kerala, the Mahe area of the Union territory of Pondicherry and the Union territory of Lakshadweep.	State Bank of India, Trivandrum
7.	Regional Provident Fund Commissioner, (Madhya Pradesh), 2nd Floor, Shiv Vilas Palace Rajwade Chowk, INDORE,	The State of Madhya Pradesh.	State Bank of India, Indore.

(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Regional Provident Fund Commissioner (Maharashtra), Bhavishaya Nidhi Bhavan, 341, Bandra East, BOMBAY-51.	The State of Maharashtra and the Union territory of Goa, Daman and Diu.	Reserve Bank of India, Bombay (Fort).
9.	Regional Provident Fund Commissioner (Orissa), New Capital BHUBANESHWAR-1.	The State of Orissa.	Reserve Bank of India, Bhubaneshwar
10.	Regional Provident Fund Commissioner (Punjab), S.C.O. No. 4 to 7, Sector 17/D, CHANDIGARH.	(1) The States of Punjab, Haryana and Himachal Pradesh and the Union territory of Chandigarh :	State Bank of India, Chandigarh.
		(2) The State of Jammu and Kashmir	State Bank of India, Srinagar.
11.	Regional Provident Fund Commissioner (Rajasthan), 12, Saroop Villa, Takhatsahi Road, New Ram Bagh Circle, JAIPUR-4.	The State of Rajasthan	State Bank of India, Jaipur.]
12.	Regional Provident Fund Commissioner (Tamil Nadu), 22/23, Royapettah High Road, MADRAS-14.	The State of Tamil Nadu and the Pondicherry and Karaikal areas of the Union territory of Pondicherry.	Reserve Bank of India, Madras.
13.	Regional Provident Fund Commissioner, (Uttar Pradesh), Nidhi Bhavan, Sarvodaya Nagar. KANPUR.	The State of Uttar Pradesh	Reserve Bank of India, Kanpur.
14.	Regional Provident Fund Commissioner, (West Bengal), 24, Park Street, CALCUTTA-16.	The State of West Bengal and the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands	Reserve Bank of India, Calcutta.
15.	Regional Provident Fund Commissioner (Delhi), 1/6-B, Pusa Road, NEW DELHI-5	The Union territory of Delhi.	Reserve Bank of India, New Delhi.

SECOND SCHEDULE FORM—A

(See paragraph 7)

CHALLAN—ORIGINAL/DUPLICATE

*(To be filled in by the deposit office and *not by the depositor*)

*1. Ledger Folio No.....

Code number.....

**Serial number of the Challan.....

*2. Particulars of cheque/ demand draft

Number and date	Name of the Bank and Branch on which drawn	Rs.

Reserve Bank of India/State Bank of India..... Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Wages Account. Paid into the credit of the Additional Emoluments (Compulsory Deposit)Wages Account of the Regional Provident Fund Commissioner,....., Rs..... (rupees.....only) being the additional wages deducted from the emoluments of the employees for the month of.....197

*3. Passing Official.....

Name of the establishment.....

*4. Scroll transfer.....

.....

Address.....

Signature of the specified authority

NOTE : **The serial number shall be a running serial number. The challan may be prominently marked on top left corner "Refund of misbursed amount" in red ink when it is used for the purpose under sub-paragraph (4) of paragraph 12 of the Additional Emoluments Compulsory Deposit (Employees other than employees of Government and Local Authorities) Scheme, 1974.

*(To be filled in by the deposit office and *not by the depositor*)

*1. Ledger Folio No

*2. Particulars of cheque/demand draft.

Number and date	Name of the Bank and branch on which drawn.	Rs.

*3. Passing official

4. Scroll transfer.....

FORM 'B'

(See paragraph 7)

Code number.....

**Serial number of the Challan.....

CHALLAN—ORIGINAL/DUPLICATE

Reserve Bank of India/State Bank of India..... Additional Emoluments(Compulsory Deposit) Dearness Allowance Account. Paid into the credit of the Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Dearness Allowance Account of the Regional Provident Fund Commissioner,....., Rs..... (rupees.....only) being the additional dearness allowance deducted from emoluments of the employees for the month of.... 197

Name of the establishment.....

.....

Address.....

Signature of the specified authority

**The serial number shall be a running serial number.

NOTE : The challan may be prominently marked on top left corner "Refund of undisbursed amount" in red ink where it is used for the purpose under sub-paragraph (4) of paragraph (12) of the Additional Emoluments Compulsory Deposit (Employees other than employees of Government and Local Authorities) Scheme, 1974.

FORM —C

(See paragraph 7)

CERTIFICATE OF PAYMENT

Certified that purchased from us a Demand Draft bearing No..... dated.....for Rs.....(Rupees only) drawn on and payable at the.....Bank..... Branch in favour of the Regional Provident Fund Commissioner—*AE(CD) Wages Account *AE (CD) Dearness Allowance Account.

Code No.....

Date : Branch Manager

Seal :

.....Bank

.....Branch

*Delete whichever is not applicable.

FORM — D

(See paragraph 7)

RECEIPT

Certified that a sum of Rs.....(Rupees only) deposited with us by Cheque No. drawn on..... on.....has been credited to *Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Wages* Dearness Allowance Account of the Regional Provident Fund Commissioner,.....

Code No.....

Date :
Seal :

.....
Branch Manager of the Reserve Bank of India

.....Branch

*Delete whichever is not applicable.

FORM — E

(*See* paragraph 7)

Statement of remittances for credit to the Additional Wages Deposit Account/Additional Dearness Allowance Deposit Account.

1. *Serial Number
2. Name of the establishment with address
3. Code Number allotted
4. Number of employees on whose behalf deposits made
5. Details of remittance

Nature of Deposit	Total amount remitted Rs.	Challan Number and Date	Amount in column 2 not earning interest for the month of remittance Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)
Additional wages			
Additional dearness allowance			

Certified that the above amounts relate to the deductions made from the emoluments disbursed on———————.
here mention date(s)

Date..
Seal :

Signature of the specified authority

*Serial Number shall be a running serial number.

FORM 'F'

[*See* paragraph 2(*h*) and 8]

Ledger Account in respect of Additional Wages Deposit Account/Additional Dearness Allowance Deposit Account.

As on (date) Rate of interest Name of the employee:

Folio/Account No.

Nominee(s) as nominated under paragraph 9 of the Additional Emoluments Compulsory Deposit (Employees other than employees of Government and Local Authorities) Scheme, 1974.
Date of receipt of the nomination :

PART A

Month	Additional Wages			Remarks	Additional Dearness Allowance			Remarks
	Deposits made during the month	Progressive total of deposits	Interest		Deposits made during the month	Progressive total of deposits	Interest	
	Rs.	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	Rs.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

NOTE 1.—The ledger account will be maintained in Part 'A' during the period specified in sub-section (1) of section 6 of the Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Act, 1974.

NOTE 2.—'Month' in column (1) will be the month of remittance and not the month to which the additional wages or additional dearness allowance relate; in the case of repayments, 'month' in column (1) will be the month of repayment.

NOTE 3.—Repayments during the period specified in sub-section (1) of section 6 of the Act will be shown in red ink as a minus entry.

NOTE 4.—(a) Interest may be credited at the end of the year for the year as a whole.

(b) Interest shall be credited for the period up to the end of the month preceding the month in which repayment is tendered or the employee is transferred or a revised rate of interest takes effect.

FORM 'F'
contd.

PART B

	Additional Wages	Additional dearness allowance
	Amount as on *	Amount as on *
I. DEPOSITS		
1. Balance brought forward		
(*a*) earning interest		
(*b*) not earning interest		
(*c*) TOTAL		
2. Amount due for repayment		
3. Amount repaid		
4. Balance		
(*a*) earning interest		
(*b*) not earning interest		
(*c*) TOTAL		
II. INTEREST		
1. Brought forward		
2. Earned		
3. Paid		
4. Balance		
III. Voucher number and date of payment		
(*a*) Deposit		
(*b*) Interest		
IV. REMARKS		

*Entries will be made every year or earlier when repayment is made or an account is transferred or the rate of interest is changed. The month and year of occurrance of such an event will be recorded in the blank space in the heading of the column.

NOTE 1.—The ledger account will be maintained in Part 'B' on the expiry of the period specified in sub-section (1) of section 6 of the Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Act, 1974.

NOTE 2.—Interest shall be credited for the period upto the end of the month preceding the month in which repayment is tenedered or the employee is transferred or a revised rate of interest takes effect.

FORM "G"

(*See* paragraph 9)

NOMINATION FORM

PART—A

To

I hereby nominate the person/persons mentioned below to whom, in the event of my death, the amount standing to my credit in my Additional Wages Deposit Account/Additional Dearness Allowance Deposit Account under the Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Act, 1974 at the time of my death would be payable :—

Serial Number	Name of the Nominee	Full Address	Where the nominee is a minor, date of birth of the nominee
1	2	3	4

2. As the nominee (s) against serial number(s) specified above is a/are minor(s), I appoint _____ as the person to receive
(Name and full address)
the sum due under the said account in the event of my death, while the nominee (s) is/are still a minor (s).

Witness _____ _____
(Name and full address) _____ Signature of the employee

PART—B

(to be filled in by the specified authority).

The nomination was received on _____ and has been entered in the ledger account.

Date _____ Signature of the specified authority

FORM 'H'

(*See* paragraph 9)

Application for cancellation or change of nomination made earlier.

PART—A

To

I hereby cancel the nomination made by me in respect of my Additional Wages Deposit Account and/Additional Dearness Allowance Deposit Account under the Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Act, 1974.

*2. In the place of the cancelled nomination, I hereby nominate the person (s) mentioned below who shall, on my death , become entitled to the repayment of the sum due in the said account to the exclusion of all other persons:--

Serial Number	Name of the Nominee	Full Address	Where the nominee is a minor, date of birth of the nominee
1	2	3	4

*3. As the nominee (s) against serial number (s) specified above is a/are minor (s),

I appoint _____

(Name and full address)

is the person to receive the sum (s) due under the said account in the event of my death, while the nominee(s) is/are still (a) minor(s)

Witness _____

Name and full address _____

Signature of the employee

Part-B

(to be filled in by the specified authority)

nomination was received on_____and has been entered in the ledger account.

Date _____

Signature of the specified authority

*Strike out if not applicable.

FORM 'T'

(See paragraph 11)

Account of the specified authority

Name of the establishment

Code No.

ADDITIONAL WAGES DEPOSIT ACCOUNT

Month	Challan Number/ Voucher Number/ Abstract Number and date	Balance of deposit at the beginning of the month	Amount of deposit	Amount transferred in	Amount transferred out/ repaid	Balance of deposit at the close of the month	Balance of interest at the beginning of the month	Interest transferred in	Interest transferred out/ paid	Interest credited for the month	Interest at the close of the month	Remarks
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
TOTAL												

FORM 'I' (Continued)

ADDITIONAL DEARNESS ALLOWANCE DEPOSIT ACCOUNT

Month	Challan Number/ Voucher Number/ Abstract Number and date	Balance of deposit at the beginning of the month	Amount of deposit	Amount transferred in	Amount transferred out/repaid	Balance of deposit at the of the month	Balance of Interest at close the beginning of the month	Interest transferred in	Interest transferred out/paid	Interest credited for the month	Interest at the close of the month	Remarks
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
TOTAL												

Note 1 : Challan number and date shall be the number and date of 'Challan' in Form 'A' or Form 'B' as the case may be.

Note 2 : Voucher number and date shall be the number and date of 'particulars of repayment' in Form 'K'.

Note 3 : Abstract number and date shall be the number and date of 'abstract' in Form 'L'.

FORM—J

(*See* paragraph 12)

Application for drawing amounts for repayment on account of additional wages and additional dearness allowance from the nominated authority.

1. Name of the establishment :

2. Code number :

A sum of Rs. @.....on account of additional wages and a sum of @Rs.....on account of additional dearness allowance, being the *amounts of compulsory deposits lying in the ledger accounts/first/second/third/fourth/fifth and final instalment of the amounts of compulsory deposits credited to the ledger accounts of the undermentioned employees, and Rs. @.....and Rs. @.....being the interest due on the respective deposit account as per details below is required for purpose of repayment to the employees. The same may be paid through Bank Draft/Cheque marked 'Account Payee' payable at.....

Serial Number	Name of the employee	Ledger folio number/ Account Number	Additional Wages		Additional Dearness Allowance		Remarks **
			Amount of Deposit	Interest due	Amount of Deposit	Interest due	
			Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total							

Certified that (1) the amounts shown under columns (4) and (6) have actually been credited in the respective ledger accounts of the employees concerned and represent the amounts due for repayment, and (2) the interest due as shown under columns (5) and (7) has been calculated in the manner prescribed and at the rates applicable from time to time.

Place :

Signature of the specified authority.

Date :

Seal :

*Strike off whichever is not applicable.

@To be indicated both in figures and words.

**Indicate the date of termination of service and reasons therefor where applicable.

FORM—K

(*See* paragraph 12)

Particulars of repayments to employees on account of Additional Wages/Additional Dearness Allowance

1. *Serial number :

2. Name of establishment :

3. Code number :

4. Particulars of disbursements :

	Amounts received from nominated authority			Amounts disbursed			Balance refunded		
	Cheque/ Demand Draft number and date	Principal	Interest	Principal	Interest	Date of payment	Principal	Interest	Challan number and date of refund
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A. *Additional Wages Deposit Account*									
B. *Additional Dearness Allowance Deposit Account*									

5. Names of employees to whom repayments could not be effected and reasons therefor.

Serial Number	Name of employee	Serial Number [column (1)] in Form 'J' dated—)	Reasons	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Place :

Date :

Seal :

Signature of the specified authority.

*Serial number shall be a running serial number.

FORM—L

(*See* paragraph 13)

(*Abstract of the account transferred*)

PART 'A'

To be filled by the transferor specified authority

1. *Serial Number :
2. Name of the establishment :
3. Code number :
4. Name and designation of the employee transferred :
5. Date of transfer :
6. Ledger Folio/Account No.
7. Transferred from

.....
(Name of establishment and code number and address)

8. Transferred to :

.....
(Name of establishment and code number and address)

9. Particulars of amounts transferred

	Amount	Date upto which deposit made	Interest credited	Date upto which interest in column(3) credited	Deposits not earning interest		
					Amount	During the month of **	From the month of ***
	Rs.		Rs.		Rs.		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(a) Additional Wages Deposit							
(b) Additional Dearness Allowance Deposit							

Date :

Seal :

Signature of the specified authority.

PART 'B'

(*To be filled by the transferee specified authority.*)

Receipt of the detailed ledger account of.....Ledger Folio No..... with the abstract as in Part 'A' above is hereby acknowledged. The employee has been allotted Folio number/Account number.....in the ledger maintained in the office and necessary entries have been made of the transferred amounts in his ledger.

Code number :

Place :

Date :

Seal :

Signature of the specified authority

*Serial number shall be a running serial number.

**Vide second proviso to paragraph 10 of the Additional Emoluments Compulsory Deposit (Employees other than employees of Government and Local Authorities) Scheme, 1974.

***Vide third proviso to paragraph 10 of the said Scheme.

FORM—'L' *(contd.)*

(To be filled by the nominated authority under whose jurisdiction the transferee specified authority functions.)

Certified that the amounts transferred have been credited in the Additional Wages Deposit Account/Dearness Allowances Deposit Account of the transferee specified authority £ (and the concerned deposit office has been informed).

Place :

Signature of the nominated authority.

Date :

Seal :

PART 'D'

(To be filled by the nominated authority under whose jurisdiction the transferor specified authority functions.)

(Certified that the transferred amounts have been debited in the Additional Wages Deposit Account/Dearness Allowance Deposit Account of the transferor specified authority £££ (and the concerned deposit office has been informed)

Place :

Signature of the nominated authority.

Date :

£Strike off if not applicable.

FORM 'M'

(*See* paragraph 14)

Statement of account of Additional Wages Deposit Account and Additional Dearness Allowance Deposit Account for the year ending.....

1. Name of the employee :

2. Ledger Folio/Account No. :

3. Name of the establishment :

Item	Additional Wages Deposit Account		Additional Dearness Allowance Deposit Account	
	Principal Rs.	Interest Rs.	Principal Rs.	Interest Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Opening balance				
2. Deposits made/interest earned during the year				
3. Repayments made/interest paid during the year.				
4. Closing balance at the end of the year.				

Place :

Date :

Signature of the specified authority.

Seal :

(COUNTERFOIL)

Ledger Folio/Account No.

*I accept the above statement of account as correct.

*I do not accept the above statement of account for the following reasons :

Place :

Signature of employee.

Date :

*Strike off whichever is not applicable.

FORM 'N'

(*See* paragraph 14)

Annual abstract of the ledger account for the year ending.....

Name of the establishment.....
Code number

Description	Deposit						Interest					
	Brought forward from the previous year	Transferred in due to transfers of accounts	Amounts deducted and remitted	Amounts repaid	Transferred out due to transfer of accounts	Balance at employees' credit at the end of the year	Brought forward from the previous year	Transferred in due to transfers of accounts	Earned during the year	Paid	Transferred out due to transfers of accounts	At the credit of the employees' account at the close of the year
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Additional Wages Deposit Account												
Additional Dearness Allowance Deposit Account												

Certified that the closing balances of deposits under column (7) and interest thereon under column (13) tally with the corresponding total balances in the ledger account.

Date:

Seal:

Signature of the specified authority.

FORM 'O'

(*See* Paragraph 15)

CERTIFICATE OF DEDUCTIONS

Certified that the credits to the Additional Wages Deposit Account and Additional Dearness Allowance Deposit Account of Shri———————— ——during the year ending 31st March ————————————amount to Rs.———————————— (rupees————————————————only).

Place :

Date :

(Signature of the specified authority).

Seal :

Name and full address of the specified authority.

FORM 'P'

(*See* Paragraph 17)

Challan for depositing interest on delayed deductions/remittances in Government Treasury

Challan number : CENTRAL

Part A—*To be filled by the remitter* :

1. Remitter : (Here enter the particulars of the specified authority and the code number of the establishment.)	
2. Purpose of remittance :	Interest on delayed deductions/remittances
3. Department to which the remittance relates.	Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), Government of India.
4. Authority for remittance :	Paragraph 17 of Additional Emoluments Compulsory Deposit (Employees other than employees of Government and Local Authorities) Scheme, 1974.
5. Amount paid :	Rs.....(rupees.....)
6. Head of Account :	065—Other Administrative Services —C. Other Services—Other receipts.
7. Accounts Officer by whom adjustable : (Here enter the Accountant General in the State concerned with Central transactions)	
8. Paid by : (a) Name : (b) Signature :	
9. Payment tendered at : (Here enter name of Government Treasury/ Sub-Treasury)	

Part B

(*To be filled by Government Treasury/Sub-Treasury*)

Received payment of Rs.....(rupees.....) only.

Signature (with date) of

Treasurer Accountant Treasury Officer

[No. F.2(3)-CD/74.]

J. INNOCENT, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 1974

सा० का० नि० 460 (अ).—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 (1974 का 37) की धारा 10 की उपधारा (1), तथा उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों के कर्मचारियों से भिन्न कर्मचारियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम अतिरिक्त उपलब्धियां अनिवार्य निक्षेप (सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों के कर्मचारियों से भिन्न कर्मचारी) स्कीम, 1974 है ।

(2) यह 1974 की जुलाई के छठे दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

2. **परिभाषाएं.**—इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 (1974 का 37) अभिप्रेत है ;

(ख) "बैंक" से अभिप्रेत है—

(i) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक ;

(ii) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) में यथा परिभाषित समनुषंगी बैंक ;

(iii) बककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 3 के अधीन गठित तत्स्थानी नया बैंक; और

(iv) कोई अन्य बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित बैंक हो ;

(ग) "कटौती" से किसी कर्मचारी की उपलब्धियों में से धारा 6 के अधीन काटी गई रकम अभिप्रेत है ;

(घ) प्रथम अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट नाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के सम्बन्ध में 'निक्षेप कार्यालय' से अभिप्रेत है उस अनुसूची के स्तम्भ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निक्षेप कार्यालय ;

(ङ) 'कर्मचारी' से अभिप्रेत है किसी स्थापन का कोई कर्मचारी और इसके अन्तर्गत सम्मिलित है—

(i) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी का वह कर्मचारी जो ऐसे स्थापन में प्रतिनियुक्त है ; और

(ii) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी का वह कर्मचारी जो धारा 3 के खण्ड (क) से लेकर (ज) तक में विनिर्दिष्ट किसी कम्पनी या किसी अन्य निगम, जिसके अन्तर्गत सोसाइटी या निकाय भी है, या किसी व्यष्टि या व्यक्तियों के संगम या व्यक्तियों के निकाय, या किसी स्थापन की सेवा में प्रतिनियुक्त है ;

(च) 'स्थापन' से धारा 3 के खण्ड (च) से लेकर (ज) तक में विनिर्दिष्ट स्थापन अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उसी धारा के खण्ड (ग) से लेकर (ङ) तक में विनिर्दिष्ट कोई कम्पनी, कोई अन्य निगम, जिसके अन्तर्गत कोई सोसाईटी या निकाय भी है, और कोई व्यष्टि, व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय, सम्मिलित है ;

(छ) 'प्ररूप' से द्वितीय अनुसूची में उपवर्णित प्ररूप अभिप्रेत है ;

(ज) किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में 'खाता-लेखा' से प्ररूप च में रखा जाने वाला लेखा अभिप्रत है ;

(झ) प्रथम अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट अधिकारिता के भीतर स्थित स्थापन के किसी विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के सम्बन्ध में, "नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी" से अभिप्रेत है वह प्राधिकारी जो उसी अनुसूची के स्तम्भ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है ;

(ञ) 'पैरा' से इस स्कीम का पैरा और 'उप-परा' से उस पैरा का, जिसमें वह आता है। उप-पैरा अभिप्रेत है ,

(ट) 'अनुसूची' से इस स्कीम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ठ) 'धारा' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है

(ड) 'विनिर्दिष्ट प्राधिकारी' से परा 3 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रत है ।

3. **विनिर्दिष्ट प्राधिकारी.**—(क) किसी स्थापन के कर्मचारियों के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे स्थापन का नियोजक होगा ; और

(ख) ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से संविद् श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) के अधीन नियोजित कर्मचारियों के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी वह नियोजक होगा जो ऐसे ठेकेदार को रखता है ।

4. **कूट संख्याओं का आबंटन.**—(1) इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख का विद्यमान किसी स्थापन के सम्बन्ध में, ऐसी तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर और ऐसी तारीख के पश्चात् किसी समय स्थापित किए जाने वाले स्थापन के सम्बन्ध में, ऐसे स्थापन के स्थापित किए जाने के पन्द्रह दिन के भीतर, हर विनिर्दिष्ट प्राधिकारी—

(क) अपने स्थापन के नाम और पते ; और

(ख) उन स्वामियों, कब्जाधारकों, निदेशकों, भागीदारों, प्रबन्धक या किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के नाम, जिनका स्थापन के मामलों में परम नियंत्रण हो, प्रस्तुत करेगा ;

परन्तु इस पैरा में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों में कोई परिवर्तन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसा परिवर्तन होने के पन्द्रह दिन के भीतर सूचित किया जाएगा ;

परन्तु यह और कि जहां विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस पैरा के अधीन अपेक्षित जानकारी नाम निर्दिष्ट प्राधिकारी को उपरोक्त तारीख के पूर्व दी हो वहां उससे पुनः ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ;

परन्तु यह और भी कि जहां किसी कर्मचारी के दो या अधिक स्थापन या उनकी शाखाएं हैं उसी आस्थान पर या विभिन्न स्थानों पर हों वहां वह नियोजक जिसका उस स्थापन या शाखा के मामलों पर परम नियंत्रण हो, उस नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के अनुमोदन से जिसकी उस क्षेत्र पर, जहां ऐसे नियोजक का कार्यालय स्थित है, अधिकारिता हो, यह विनिश्चय करेगा कि एक ही विनिर्दिष्ट प्राधिकारी आवश्यक होगा या अधिक तथा इस प्रकार विनिर्दिष्ट प्राधिकारी इस पैरा में विनिर्दिष्ट अपेक्षित विशिष्टियां प्रस्तुत करेगा ।

(2) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट जानकारी प्राप्त होने पर विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को एक कूट संख्या आवंटित करेगा और उसकी सूचना विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को देगा

5. **विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मजदूरी या महंगाई भत्ते के पुनरीक्षण की विशिष्टियों का प्रस्तुत किया जाना**—प्रत्येक विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, राजपत्र में स्कीम के प्रकाशन के दस दिन के भीतर, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को मजदूरी या महंगाई भत्ते के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में किसी न्यायालय, अभिकरण या अन्य प्राधिकारी की डिग्री, पंचाट या आदेश, अथवा करार या व्यवस्था की प्रति रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजेगा और जहां मजदूरी या महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण उपरोक्त रीति से भिन्न रीति से किया जाए वहां मजदूरी या महंगाई भत्ते के ऐसे पुनरीक्षण की पूर्ण विशिष्टियों का उल्लेख करते हुए एक सूचना भेजेगा ।

परन्तु यह और कि जहां विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस पैरा के अधीन अपेक्षित जानकारी नाम निर्दिष्ट प्राधिकारी को उपरोक्त तारीख के पूर्व दे दी हो वहां उससे ऐसी जानकारी पुनः प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

6. **अनिवार्य निक्षेप के लिए कटौतियां करने की रीति**.—प्रत्येक कटौती धारा 11 में विनिर्दिष्ट रीति से पूर्णांकित की जाएगी :

परन्तु जहां एक ही बार में दो या अधिक मजदूरी-अवधियों के लिए कटौतियां की जाएं वहां ऐसी प्रत्येक अवधि के लिए की गई कटौती पृथक-पृथक रूप से पूर्णांकित की जाएगी ।

7. **कर्मचारियों से की गई कटौतियों का प्रेषण**.—(1) विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, प्रत्येक मास की समाप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर, एतत्पश्चात विनिर्दिष्ट रीति से, उस मास के लिए संविनियत उपलब्धियों में से कटौतियों की कुल रकम, जिसमें उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में की गई कटौतियां सम्मिलित हैं जो अपने उपलब्धियां स्वयं निकालते हैं, प्रेषित करेगा ।

(2) अतिरिक्त मजदूरी निक्षेप खाता और अतिरिक्त महंगाई भत्ता निक्षेप खाता में से प्रत्येक के सम्बन्ध में हर प्रेषण पृथक चैक या मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा । ऐसा चैक या मांगदेय ड्राफ्ट—

(क) उसी आस्थान पर स्थित, जहां निक्षेप कार्यालय स्थित है, किसी बैंक के नाम जारी किया जाएगा ;

(ख) 'पाने वाले के खाते' (अकाऊंट पेयी) शब्दों से अंकित होगा और, यथा स्थिति, "प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त— अ उ (अ नि) मजदूरी खाता" या "प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त—अ उ (अ नि) महंगाई भत्ता खाता" के पक्ष में होगा ;

(ग) जैसा उपयुक्त हो, प्ररूप 'क' में या प्ररूप 'ख' में, दो प्रतियों में चालान के साथ, निक्षेप कार्यालय को निविदित किया जाएगा, या रजिस्ट्री डाक से भेजा जाएगा ।

(3) जहां कोई प्रेषण मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा किया जाए वहां ड्राफ्ट जारी करने वाला बैंक विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्ररूप 'ग' में एक संदाय प्रमाणपत्र देगा ।

(4) जहां प्रेषण चैक द्वारा किया जाए वहां निक्षेप कार्यालय विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को एक रसीद प्ररूप 'घ' में देगा ।

(5) विनिर्दिष्ट प्राधिकारी चैक या मांगदेय ड्राफ्ट के निविदित किए जाने या रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजे जाने के पांच दिन के भीतर नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्ररूप "ङ०" में एक विवरण भेजेगा ।

(6) निक्षेप कार्यालय उप-पैरा (2) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट प्ररूप "क" या प्ररूप "ख" की द्वितीय प्रति सम्यक्रूप से प्राप्ति-पुष्टि के साथ, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजेगा ।

(7) ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित कर्मचारियों की दशा में ठेकेदार ऐसी जानकारी देगा जैसी कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे इस स्कीम के उपबन्धों का अनुपालन करने के लिए समर्थ बनाने के लिए अपेक्षित हो ।

8. **खाता-लेखा.**—विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, प्रत्येक कर्मचारी के नाम में अतिरिक्त मजदूरी निक्षेप खाता और अतिरिक्त महंगाई भत्ता निक्षेप खाता के स्तम्भ में पृथक्-पृथक् खाता-लेखा "च" या उससे यथा सम्भव मिलते प्ररूप में, खोलेगा और रखेगा ।

9. **नामनिर्देशन.**—(1) कर्मचारी प्ररूप "छ" या उससे यथा सम्भव मिलते प्ररूप में, एक अथवा अधिक व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा जो कि खाता-लेखा में उस कर्मचारी के नाम जमा रकम को, ब्याज सहित, उस दशा में प्राप्त करने का हकदार होगा जब कर्मचारी की मृत्यु अन्तिम वार्षिक किश्त के देय होने के पूर्व, या देय हो जाने के पश्चात् किन्तु संदाय किए जाने के पूर्व, हो जाए ।

(2) जब उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट रकम और उस पर ब्याज दो या अधिक नामनिर्देशितियों को देय हो और उनकी या उनमें से किसी की मृत्यु ऐसा संदाय हो जाने के पूर्व हो जाती है तो रकम उत्तरजीवी नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों को संदत्त की जाएगी ।

(3) कर्मचारी द्वारा किया गया नामनिर्देशित प्ररूप "ज" या यथासम्भव उससे मिलते प्ररूप में किए गए नए नामनिर्देशन द्वारा रद्द किया जा सकेगा या बदला जा सकेगा ।

(4) प्रत्येक नामनिर्देशन और उसका रद्दकरण या उसमें परिवर्तन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसकी प्राप्ति की तारीख से प्रभावी होगा और लेखा-खाता में दर्ज किया जाएगा ।

(5) यदि नामनिर्देशिती अवस्यक है तो कर्मचारी ऐसे अल्पवयस्क की ओर से, जब तक कि अल्पवयस्क वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, कर्मचारी की मृत्यु की दशा में शोध्य रकम प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है ।

(6) जहां कर्मचारी ने कोई नामनिर्देशन नहीं किया हो वहां खाता-लेखा में उसके नाम में जमा रकम, उस पर ब्याज सहित, उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में, —

(क) परिवार के सभी सदस्यों को समान अंशों में देय होगी :

परन्तु मृतक के पुत्र की विधवा या विधवाएं, बालक या संतान केवल उस अंश को आपस में समान भाग में प्राप्त करेंगे जो मृतक के पुत्र को कर्मचारी का उत्तरजीवी होने की दशा में प्राप्त होता ;

(ख) यदि कोई परिवार नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को देय होगी जो प्रोबेट या प्रशासन-पत्र या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के अधीन जारी किया गया उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र, जिसके द्वारा धारक को ऐसा संदाय प्राप्त करने का हकदार बनाया गया हो, पेश करता है ।

परन्तु यह कि यदि कुल देय रकम पच्चीस सौ रुपए से अधिक नहीं है तो विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसा प्रोबेट या प्रशासन-पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र पेश करने की अपेक्षा का अधित्यजन कर सकता है और रकम का संदाय ऐसे व्यक्ति को कर सकता है जो उसको उसे प्राप्त करने का हकदार प्रतीत हो ।

स्पष्टीकरण : (क) इस उप-पैरा में, किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में, "कुटुम्ब" से अभिप्रेत है :

(i) पुरुष कर्मचारी की दशा में, उसकी पत्नी, उसकी संतान, चाहे विवाहित हो या अविवाहित, कर्मचारी पर आश्रित उसके माता-पिता तथा उसके पूर्व मृत पुत्र की विधवा या संतान, यदि कोई हो;

(ii) महिला कर्मचारी की दशा में, उसका पति, उसकी संतान, चाहे विवाहित हो या अविवाहित, कर्मचारी पर आश्रित उसके माता-पिता और उसके पूर्व मृत पुत्र की विधवा या संतान, यदि कोई हो ।

(ख) जहां कर्मचारी की स्वीय विधि उसे बालक के दत्तक ग्रहण करने की अनुमति देती हो वहां उसके द्वारा विधिवत् दत्तक गृहीत बालकी उस के परिवार में सम्मिलित समझा जाएगा और जहां किसी कर्मचारी का बालक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दत्तक ग्रहण किया गया है और ऐसा दत्तक ग्रहण, ऐसा दत्तकग्रहण करने वाले व्यक्ति की स्वीय विधि के अधीन विधिपूर्ण है, वहां ऐसा बालक कर्मचारी के परिवार से अपवर्जित समझा जाएगा ।

10. **ब्याज.**— प्रत्येक कटौती पर उस मास के, जिसमें ऐसी कटौती नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रेषित की जाती है, प्रथम दिन से, धारा 7 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट दर पर, साधारण ब्याज मिलेगा :

परन्तु यह कि यदि किसी मास के प्रथम दिन के पश्चात् बैंक निक्षेपदर में परिवर्तन हो जाता है तो ब्याज की पुनरीक्षित दर उत्तरवर्ती मास के प्रथम दिन से प्रभावी होगा :

परन्तु यह और कि उस मास में,

(क) उस मास की किसी अवधि के लिए अतिरिक्त मजदूरी और अतिरिक्त महंगाई भत्ता की बाबत ; या

(ख) उस मास की दसवीं तारीख के पश्चात् कर्मचारी को संदत्त, मजदूरी पुनरीक्षण के कारण या अन्यथा परिणामित अतिरिक्त मजदूरी या महंगाई भत्ते की बाबत, जिसमें बकाया भी है,

कोई ब्याज उद्भूत नहीं होगा ।

परन्तु यह भी कि किसी रकम पर उस मास में कोई ब्याज उद्भूत नहीं होगा जिसमें कि वह प्रतिसंदेय हो जाए और, यथा स्थिति, कर्मचारी को या उसके नामनिर्देशिती को निविदत्त की जाए तथा ऐसा कर्मचारी या नामनिर्देशिती किसी भी कारणवश उस रकम को प्राप्त करने में चूक करे ।

11. **नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा खाते का रखा जाना.**—(1) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, किसी विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के सम्बन्ध में, अतिरिक्त मजदूरी निक्षेप तथा अतिरिक्त महंगाई भत्ता निक्षेप के लिए पृथक्-पृथक् खाता प्ररूप 'ङ' में रखेगा ।

(2) (क) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक वर्ष के अन्त में यह सत्यापित करेगा कि प्ररूप 'ङ' में रखे गए खाते में दिखाया गया अतिशेष और ब्याज, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पैरा 14 के उप-पैरा (3) के अधीन प्रस्तुत किए गए प्ररूप 'ढ' में खाता-लेखा की वार्षिक संक्षिप्ति से मेल खाता है या नहीं ।

(ख) यदि नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को कोई असंगति ज्ञात होती है तो वह, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के परामर्श से, ऐसी असंगति को दूर करेगा ।

12. **प्रतिसंदाय.**—(1) विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, अतिरिक्त मजदूरी और अतिरिक्त महंगाई भत्ता के लिए, धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिसंदाय करने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित रकमें पृथक्-पृथक् प्राक्कलित करेगा और प्रत्येक वर्ष जून के अन्तिम दिन के पूर्व नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्ररूप 'ट' में आवेदन करेगा ।

(2) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी,—

(क) प्ररूप 'ग' में रखे गए खाते के प्रति निर्देश से, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा प्रतिसंदेय कुल रकम और, देय ब्याज की संगणना करेगा ; और

(ख) इस प्रकार संगणित रकम, किन्तु जो उप-पैरा (1) के अन्तर्गत मांगी गई रकम से अधिक न हो, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को उपलब्ध कराएगा ।

(3) विनिर्दिष्ट प्राधिकारी कर्मचारी को प्रतिसंदेय रकमों का संवितरण उस रकम को नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी से प्राप्ति के दस दिनों के भीतर करेगा और संवितरण के तीन दिन के भीतर नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को संवितरण के ब्यौरे प्ररूप 'ट' में प्रस्तुत करेगा ।

(4) जहां, किसी भी कारणवश, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उप-पैरा (2) के अधीन उपलब्ध कराई गई कुल रकम या उसका कोई भाग उसकी प्राप्ति के दस दिन के भीतर संवितरित नहीं किया जा सकता हो वहां विनिर्दिष्ट प्राधिकारी असंवितरित रकम को, पैरा 7 के उप-पैरा (2) में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए, इस प्रकार वापस कर देगा मानो वह कटौतियों का प्रेषण हो । प्रत्येक चालान पर, जो कि इस बात के अनुसार कि असंवितरित रकम अतिरिक्त मजदूरी से संबंधित है या अतिरिक्त महंगाई भत्ते से, प्ररूप 'क' या प्ररूप 'ख' में होगा ; "असंवितरित रकम की वापसी" शब्द लाल स्याही से अंकित किए जाएंगे ।

(5) जहां कोई प्रतिसंदाय धारा 9 की उपधारा (1) के तृतीय परन्तुक के अधीन किया जाना हो वहां विनिर्दिष्ट प्राधिकारी—

(क) कर्मचारी की अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्ति के दस दिन पूर्व; और

(ख) किसी अन्य मामले में, उस घटना के होने के ठीक पूर्व जिसके कारण प्रतिसंदाय आवश्यक हो,

प्ररूप 'घ' में आवेदन करेगा और विनिर्दिष्ट प्राधिकारी और नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी प्रतिसंदाय करने में उप-पैरा (1) से (4) तक में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे ।

13. **कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर लेखाओं का समायोजन** —(1) किसी कर्मचारी का एक विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से दूसरे की अधिकारिता में स्थानान्तरण होने पर, चाहे वह एक नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर हो, अन्यथा, वह विनिर्दिष्ट प्राधिकारी जिसकी अधिकारिता से कर्मचारी का स्थानान्तरण हो (जिसे इसमें इसके पश्चात अन्तरक विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है)—

(क) खाता-लेखा को, उसमें सभी कटौतियों की, जिसमें स्थानान्तरण के मास के दौरान की गई कटौतियां भी हैं, और कटौतियों पर स्थानान्तरण के पूर्ववर्ती मास की समाप्ति पर्यन्त अर्जित ब्याज की, प्रविष्टियां करके पूरा करेगा ;

(ख) खाता लेखा में स्थानान्तरण की समुचित प्रविष्टि करेगा और खाते को 'शून्य' अतिशेष दिखा कर बन्द करेगा ;

(ग) खाता लेखा की एक प्राधिकृत प्रति, कर्मचारी के सबसे अन्तिम नामनिर्देशन के प्ररूप के साथ (जो मूल रूप में होगा), उस विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को जिसकी अधिकारिता में कर्मचारी का स्थानान्तरण हुआ है (जिसे इसमें इसके पश्चात् अन्तरिती विनिर्दिष्ट

प्राधिकारी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) रजिस्ट्रीकृत डाक से अग्रेषित करेगा; और

(घ) अन्तरिम खाते को संक्षिप्त प्ररूप "ठ" में तैयार किया और—

(i) उसकी तीन प्रतियां अन्तरिती विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजेगा यदि ऐसा प्राधिकारी उसी नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी की प्राधिकारिता के भीतर कृत्य कर रहा है अथवा यदि अन्तरिती विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से किसी भिन्न नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर कृत्य कर रहा है तो चार प्रतियां उसे भेजेगा ; और

(ii) उसकी एक प्रति उस नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजेगा जिसकी अधिकारिता में अन्तरक विनिर्दिष्ट प्राधिकारी कृत्य कर रहा है ।

(2) खाता लेखा नामनिर्देशन प्ररूप और संक्षिप्त की प्राप्ति पर अन्तरिती विनिर्दिष्ट प्राधिकारी

(क) संक्षिप्त की तुलना खाता-लेखा की प्राधिकृत प्रति से करेगा ;

(ख) संक्षिप्त की एक प्रति, सम्यक्रूप से प्राप्ति-पुष्टि के साथ, अन्तरक विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को वापस भेजेगा ;

(ग) यथास्थिति, संक्षिप्त की शेष प्रतिया प्रतियों को, सम्यक् रूप से प्राप्ति-पुष्टि के साथ, अपने नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा ;

(घ) स्थानान्तरित कर्मचारी के संबंध में एक खाता-लेखा खोलेगा जिसमें, उसके नाम में जमा निक्षेपों की वे रकमें और ब्याज जो अन्तरक विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से प्राप्त खाता-लेखा की प्राधिकृत प्रति में दर्शाई गई हों, दर्ज करेगा, और खाता-लेखा के टिप्पण स्तम्भ में सुस्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा कि प्रविष्टियों का आधार अन्तरण है ; और

(ङ) खाता-लेखा और संक्षिप्त की प्राधिकृत प्रति निर्देश से, उन मासों के लिये निक्षेपों पर जिनके लिये ब्याज पहले जमा नहीं किया गया हो, यथा अनुज्ञात ब्याज की संगणना करेगा और उसे खाता-लेखा में जमा करेगा ।

(3) जहां कोई कर्मचारी एक विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से दूसरे की अधिकारिता में स्थानान्तरण किया जाता है और वे एक ही नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी की अधिकारिता में हो तो नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, अन्तरिती विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से संक्षिप्त की प्रति की प्राप्ति पर और यह सत्यापन कर लेने के पश्चात् कि अन्तरक विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से प्राप्त प्रति वैसी ही है जैसी कि अन्तरिती विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से प्राप्त प्रति, दोनों संबंधित विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों के खातों में आवश्यक प्रविष्टियां करेगा ।

(4) जहां किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी कोई भिन्न प्राधिकारी है तो वह नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी जिसकी अधिकारिता में अन्तरक विनिर्दिष्ट प्राधिकारी कृत्य कर रहा है अन्तरिती विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से उप-पैरा (i) के खंड (घ) के उप-खंड (ii) में निर्दिष्ट संक्षिप्ति की प्रति प्राप्त होने पर,—

(क) अन्तरिती विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से उस नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के माध्यम से जिस के अधीन अन्तरिती विनिर्दिष्ट प्राधिकारी कृत्य करता है, संक्षिप्ति की प्राप्ति पुष्ट प्रति की प्रतीक्षा करेगा और यह सत्यापन कर लेने के पश्चात् कि अन्तरक विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से प्राप्त प्रति वैसी ही है और जैसी कि अन्तरिती विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से प्राप्त प्रति, अन्तरक विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के खाता-लेखा में आवश्यक प्रविष्टियां करेगा ; और

(ख) निक्षेप कार्यालय को, और साथ ही साथ उस नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को जिसके अधीन अन्तरिती विनिर्दिष्ट प्राधिकारी कृत्य करता है, अन्तरित रकमों की सूचना देगा ।

(5) उप-पैरा (4) के अधीन आने वाले मामलों में, वह नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी जिसकी अधिकारिता के अधीन अन्तरिती विनिर्दिष्ट प्राधिकारी कृत्य करता है—

(क) अन्तरिती विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के खाते में आवश्यक प्रविष्टियां करेगा ;

(ख) प्राप्ति पुष्ट संक्षिप्ति की एक प्रति उस नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा जिसकी अधिकारिता के अधीन अन्तरक विनिर्दिष्ट प्राधिकारी कृत्य करता है ; और

(ग) अन्तरण के आधार पर प्राप्त रकमों की सूचना निक्षेप कार्यालय को देगा ;

(6) इस पैरा में अन्तरिती विनिर्दिष्ट प्राधिकारी और वह नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, जिसके अधीन अन्तरिती विनिर्दिष्ट प्राधिकारी कृत्य करता है, में—

(क) अतिरिक्त उपलब्धियां अनिवार्य निक्षेप (सरकारी कर्मचारी) स्कीम, 1974;

(ख) अतिरिक्त उपलब्धियां अनिवार्य निक्षेप (सरकारी और स्थानीय प्राधिकारी के कर्मचारियों से भिन्न कर्मचारी) स्कीम, 1974,

में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी प्राधिकारी सम्मिलित हैं ।

14. **कर्मचारियों का वार्षिक लेखा विवरण** .—(1) विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, नियत दिन से एक वर्ष समाप्त हो जाने के पश्चात तथा प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष की समाप्ति पर, यथा-सम्भव शीघ्र, प्रत्येक कर्मचारी को एक लेखा विवरण प्ररूप 'ड' में देगा ।

(2) कर्मचारी, लेखा विवरण की प्राप्ति के एक मास के भीतर, अपने खाता-लेखा के अतिशेष की स्वीकृति, या उसकी अस्वीकृति के कारण, संसूचित करेगा ।

(3) विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, उप पैरा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के छह सप्ताह के भीतर, पूरे स्थापन के लिए खाता लेखा की संक्षिप्ति नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्ररूप 'ढ' में भेजेगा ।

(4) विनिर्दिष्ट प्राधिकारी कर्मचारी को, यदि वह ऐसी वांछा करे तो, वार्षिक लेखा विवरण में दिखाई गई प्रविष्टियों का सत्यापन खाता-लेखा की प्रविष्टियों से करने के लिए सभी समुचित सुविधाएं प्रदान करेगा ।

15. **कटौतियों का प्रमाणपत्र**.—विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, ऐसे प्रत्येक कर्मचारी को जो अनिवार्य निक्षेप स्कीम (आय-कर दाता) अधिनियम, 1974 (1974 का 38) के अधीन अनिवार्यतः निक्षेप करने के दायित्वाधीन हैं, 31 मार्च, को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान कर्मचारी कर्मचारी के खाता-लेखा में जमा की गई रकमों (ब्याज से भिन्न) को दर्शित करते हुए, प्ररूप 'ण' में एक प्रमाणपत्र उस वर्ष की समाप्ति के एक मास के भीतर, जारी करेगा ।

16. **दस्तावेजों की दूसरी प्रतिलिपि जारी किया जाना**.—पैरा 14 के उप-पैरा (1) के अधीन दिए गए वार्षिक लेखा विवरण या पैरा 15 के अधीन जारी किए गए कटौतियों के प्रमाण-पत्र के खो जाने या नष्ट हो जाने की स्थिति में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, यदि उससे इस निमित्त निवेदन किया जाए तो, कर्मचारी को एक दूसरी प्रति जारी करेगा और ऐसी दूसरी प्रति जारी करने के लिए विनिर्दिष्ट प्राधिकारी हर प्रति के लिए अधिक से अधिक पचास पैसे फीस प्रभारित कर सकता है ।

17. **बकाया की वसूली**—(1) जहां, किसी कारणवश, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 के उप-पैरा (1) में विनिर्दिष्ट अंतिम दिन के पश्चात् कोई प्रेषण निक्षेप खाता में जमा करने के लिए करता है वहां वह —

(क) उस अवधि के लिए जिसके लिए प्रेषण नहीं किया गया हो, सरकारी खजाने में विलम्बित प्रेषण की ब्याज की वांछित रकम का, धारा 23 के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर, चार प्रतियों में प्ररूप 'त' में चालान के साथ निक्षेप करेगा; और

(ख) खजाना से प्राप्ति पुष्ट चालान की और खजाना से अभिप्राप्त प्राप्ति पुष्ट चालान की एक प्रति पैरा 7 के उप-पैरा (2) के अधीन प्रेषण के साथ संलग्न दस्तावेजों के साथ संलग्न करेगा ।

(2) यदि धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन निरीक्षण के क्रम में किसी ऐसी रकम के जमा करने या प्रेषण में कोई ऐसा लोप या विलम्ब नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति की जानकारी में आता है, जो कि, यथास्थिति, अतिरिक्त महंगाई भत्ता निक्षेप-खाता में जमा की जानी चाहिए थी या नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रेषित की जानी चाहिए थी, वहां ऐसा प्राधिकारी या व्यक्ति उस विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से, जिसके सम्बन्ध में ऐसा लोप या विलम्ब उसकी जानकारी में आया है, अविलम्ब, यथास्थिति, आवश्यक कटौती या प्रेषण करने की और रकम को उप-पैरा (1) के अनुसार निक्षिप्त करने की अपेक्षा करेगा ।

18. **लेखाओं की संपरीक्षा**:—(1) जहां किसी स्थापन के लेखाओं और अन्य सुसंगत अभिलेखों की किसी संपरीक्षक द्वारा संपरीक्षा अपेक्षित है वहां ऐसा संपरीक्षक विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इस स्कीम के अधीन रखे गए लेखाओं और अन्य सुसंगत अभिलेखों की भी संपरीक्षा करेगा और उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा ।

(2) (क) उप-परा (1) में किसी बात के होते हुए भी, अतिरिक्त मजदूरी निक्षेप खाता और अतिरिक्त महंगाई भत्ता निक्षेप खाते के संबंध में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी और नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा रखे गए लेखाओं और अन्य सुसंगत अभिलेखों की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त नियक्त किसी व्यक्ति द्वारा भी की जा सकती है ।

(ख) विनिर्दिष्ट प्राधिकारी और नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी उपरोक्त लेखाओं और अन्य सुसंगत अभिलेखों का परिरक्षण निक्षेपों और उन पर शोध्य ब्याज के प्रतिसंदाय के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि पर्यन्त अथवा उस अवधि पर्यन्त जब तक कि भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा उल्लिखित आक्षेपों का, यदि कोई हों, निपटारा नहीं हो जाता, दोनों में से जो भी अवधि पश्चात्वर्ती हो, किया जाएगा ।

[पैरा 2 (घ) देखिए]

प्रथम अनुसूची

नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, उनकी अधिकारिता और उनकी ओर से प्रेषण प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत भारतीय रिज़र्व बैंक/भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं (निक्षेप कार्यालय) दर्शित करने वाला विवरण

क्रम संख्या	नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी और उसका पता	अधिकारिता	निक्षेप कार्यालय
1	2	3	4
1.	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आन्ध्र प्रदेश), गांधी भवन, मुख राम जाही रोड, हैदराबाद ।	आन्ध्र प्रदेश राज्य और पाण्डिचेरी संघ राज्यक्षेत्र का यनम क्षेत्र ।	भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद ।
2.	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (असम), शान्ति निवास, लेटुमखड़ा, शिलांग–3 ।	असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य तथा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र ।	भारतीय स्टेट बैंक, शिलांग ।
3.	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (बिहार) पाटलीपुत्र पथ, राजेन्द्र नगर, पटना–16 ।	बिहार राज्य	भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना ।
4.	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (गुजरात), दलाल वाड़ा, विद्युत घर के सामने, रिलीफ रोड, लाल दरवाजा, अहमदाबाद ।	गुजरात राज्य तथा दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र ।	भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद ।
5.	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (कर्नाटक), ग्लेनबर्न, 8, रेजीडेंसी रोड, बंगलौर–25 ।	कर्नाटक राज्य	भारतीय रिज़र्व बैंक, बंगलौर ।
6.	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (केरल), टी० सी० संख्या 13/256–256ए, रेजीडेंसी रोड के निकट, थाइकौड, त्रिवेन्द्रम् ।	केरल राज्य, पाण्डिचेरी संघ राज्यक्षेत्र महे क्षेत्र और लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र ।	भारतीय स्टेट बैंक, त्रिवेन्द्रम ।
7.	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मध्य प्रदेश), द्वितीय मंजिल, शिल विलास पैलेस, राजवाड़ा चौक, इन्दौर ।	मध्य प्रदेश राज्य	भारतीय स्टेट बैंक, इन्दौर ।

1	2	3	4
8.	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (महाराष्ट्र), भविष्य निधि भवन, 341, बन्द्रा ईस्ट, मुम्बई–51 ।	महाराष्ट्र राज्य तथा गोवा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र ।	भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई (फोर्ट) ।
9.	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (उड़ीसा), न्यू केपिटल, भुवनेश्वर–1 ।	उड़ीसा राज्य	भारतीय रिजर्व बैंक, भुवनेश्वर ।
10.	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (पंजाब), एस०सी०ओ० संख्या 4 से 7, सैक्शन 17/डी, चण्डीगढ़	(1) पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य तथा चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र,	भारतीय स्टेट बैंक, चण्डीगढ़ ।
		(2) जम्मू और कश्मीर राज्य ।	भारतीय स्टेट बैंक श्रीनगर ।
11.	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (राजस्थान), 12, सरूप विला, तख्तशी रोड, न्यू राम बाग सर्किल, जयपुर–4 ।	राजस्थान राज्य	भारतीय स्टेट बैंक, जयपुर ।
12.	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (तमिलनाडु), 22/23, रोयपेट्टाह हाई रोड, मद्रास–14 ।	तमिलनाडु राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्र पांडिचेरी के पांडिचेरी और कैकाल क्षेत्र ।	भारतीय रिजर्व बैंक, मद्रास ।
13.	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (उत्तर प्रदेश), निधि भवन, सर्वोदय नगर, कानपुर ।	उत्तर प्रदेश राज्य	भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर ।
14.	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (पश्चिमी बंगाल) 24, पार्क-स्ट्रीट, कलकत्ता–16 ।	पश्चिमी बंगाल राज्य तथा अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र ।	भारतीय रिजर्व बैंक, कलकत्ता ।
15.	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (दिल्ली), 16-बी, पूसा रोड, नई दिल्ली–5 ।	दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र	भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली–1 ।

प्रारूप क

(पैरा 7 देखिए)

*निक्षेप कार्यालय द्वारा, न कि निक्षेप द्वारा, भरा जाना है ।

द्वितीय अनुसूची
चालान–मूल दूसरी प्रति

कूट सं० ———

*1. खाता फोलियो सं०——— **चालान की क्रम सं० ———

*2. चेक/मांग देय ड्राफ्ट की विशिष्टियां

सं० और तारीख | बैंक और शाखा का नाम जिस के नाम में है | रु०

भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय स्टेट बैंक
अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) मजदूरी खाता ।

———————————के अतिरिक्त उपलब्धियां
(नाम निर्दिष्ट प्राधिकारी का नाम)
(अनिवार्य निक्षेप) मजदूरी खाते में ————रु०
(केवल———— रुपये) जो कि ————197
के मास के लिए कर्मचारियों की उपलब्धियों में से कटौती की गई अतिरिक्त मजदूरी है, संदत्त किए गए ।
स्थानीय प्राधिकारी का कार्यालय————————
और पता————————

*पारित करने वाला पदधारी ————

* अन्तरण तालिका————

विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के हस्ताक्षर

**टिप्पण

क्रम संख्या एक निरन्तर क्रम संख्या होगी ।

जब चालान का उपयोग अतिरिक्त उपलब्धियां अनिवार्य निक्षेप (सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्मचारियों से भिन्न कर्मचारी) स्कीम, 1974 के पैरा 12 के उप–पैरा (4) के अधीन प्रयोजन के लिए किया जाए तब उसके ऊपर के बाएं कोने में "असंवितरित रकम की वापसी" शब्द सुस्पष्टतः अंकित किए जाएंगे ।

प्ररूप ख

(पैरा 7 देखिए)

कूट सं०————

**चालान की क्रम सं० ———

(निक्षेप कार्यालय द्वारा, न कि निक्षेपक द्वारा, भरा जाना है)

*1. खाता पक्षा सं०————

*2. चेक/मांगदेय ड्राफ्ट की विशिष्टयां ————

————

सं० और बैंक और शाखा का रु०
तारीख नाम जिसके नाम में है

————

————

*3. प्रारित करने वाला पदधारी

————

*4. अन्तरण तालिका————

चालान—मूल/दूसरी प्रति

भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय स्टेट बैंक

अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) महंगाई भत्ता खाता ————————के अतिरिक्त उपलब्धियां

(नाम निर्दिष्ट प्राधिकारी का नाम)

(अनिवार्य निक्षेप)

महंगाई भत्ता खाते के जमाखाते में संदत्त————रु० (केवल————————रुपये), जो कि ———— 197 के माम के लिए कर्मचारियों की उपलब्धियों से काटा गया अतिरिक्त महंगाई भत्ता है, संदत्त किए गए ।

स्थानीय प्राधिकारी का कार्यालय और पता————————

————————

विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के हस्ताक्षर,

*टिप्पण—

क्रम संख्या एक निरन्तर क्रम संख्या होगी ।

जब चालान का उपयोग अतिरिक्त उपलब्धियां अनिवार्य निक्षेप (सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्मचारियों से भिन्न कर्मचारी) स्कीम, 1974 के पैरा 12 के उप पैरा (4) के अधीन प्रयोजन के लिए किया जाए तब उसके ऊपर के बाएं कोने में "असंवितरित रकम की वापसी" शब्द सुस्पष्टतः अंकित किए जाएंगे ।

प्ररूप ग

(पैरा 7 देखिए)

संदाय प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ———————————— ने क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अ० उ० (अ नि) मजदूरी/महंगाई भत्ता खाता के पक्ष में ———————— ————————बैंक की ————————————शाखा के नाम काटा गया और वहां संदेय ————————————रुपये (केवल ———————————— रुपये) को एक मांगदेय ड्राफ्ट, संख्या ————————————, तारीख ————————————, हमसे क्रय किया है ।

विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को

आवंटित कूट संख्या————————

————————————

शाखा प्रबन्धक

———————————— बैंक

———————————— शाखा

* जो लागू न हो, उसे काट दीजिए ।

प्ररूप घ

(पैरा 7 देखिए)

रसीद

प्रमाणित किया जाता है कि ———————————— के नाम पर ————————————को काटे गए चैक सं० ————————————द्वारा हमारे पास निक्षिप्त————————————रु० (केवल ———————— रुपये) की राशि क्षेत्रीय भविष्यनिधि आयुक्त के अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) मजदूरी/महंगाई भत्ता खाते* में जमा कर दी गई है।

कूट सं० ————————————

मुद्रा ————————————

————————————

भारतीय रिजर्व बैंक का शाखा प्रबन्धक

———————————— शाखा

*जो लागू न हो, उसे काट दीजिए।

प्ररूप 'ङ'

(पैरा 7 देखिए)

अतिरिक्त मजदूरी निक्षेप खाता/अतिरिक्त महंगाई भत्ता निक्षेप खाता में जमा करने के लिए पेषणों का विवरण

1. क्रम सं० *:
2. स्थापन का नाम और पता :
3. आवंटित कूट सं० :
4. कर्मचारियों की संख्या, जिनकी ओर से निक्षेप किए गए हैं :
5. प्रेषण के ब्यौरे

निक्षेप की प्रकृति	प्रेषित कुल रकम	चालान सं० और तारीख़	स्तम्भ (2) में की वह रकम जिस पर प्रेषण के मास के लिए ब्याज नही लगेगा।
	रु०		रु०।-
1	2	3	4
अतिरिक्त मजदूरी			
अतिरिक्त महंगाई भत्ता			

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त रकमें ——————————को संवितरित उपलब्धियों में से की गई कटौतियों से सम्बन्धित हैं। (यहां तारीख/तारीखें लिखिए)

तारीख

विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के हस्ताक्षर,

मुद्रा ।

*क्रम संख्या एक निरन्तर क्रम संख्या होगी।

प्ररूप 'ध'

[पैरा 2 (छ) और 8 देखिए]

अतिरिक्त मजदूरी निक्षेप खाता/अतिरिक्त महंगाई भत्ता निक्षेप खातें की बाबत खाता लेखा

तारीख ब्याज की दर कर्मचारी का नाम :
फोलियों/खाता सं०

अतिरिक्त उपलब्धियां अनिवार्य निक्षेप (सरकारी और स्थानीय प्राधिकारियों के कर्मचारियों से भिन्न कर्मचारी) स्कीम, 1974 के पैरा 9 के अधीन यथा-नाम-निर्देशित नाम-निर्देशिती ।

नाम-निर्देशन की प्राप्ति की तारीख:

भाग—क

मास	अतिरिक्त मजदूरी			टिप्पणियां	अतिरिक्त महंगाई भत्ता			टिप्पणियां
	मास के दौरान किए गए निक्षेप	निक्षेपों का उत्तरोत्तर योग	ब्याज		मास के दौरान किए गए निक्षेप	निक्षेपों का उत्तरोत्तर योग	ब्याज	
	रु०	रु०	रु०		रु०	रु०	रु०	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

टिप्पण —खाता-लेखा अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य) निक्षेप अधिनियम, 1974 की धारा 6 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान भाग 'क' में रखा जाएगा ।

टिप्पण 2— स्तम्भ (1) में "मास" कटौतियों का मास होगा, न कि ऐसा मास जिससे अतिरिक्त मजदूरी या अतिरिक्त महंगाई सम्बन्धित है, प्रतिसंदाओं की दशा में, स्तम्भ (1) में मास प्रतिसदाय का मास होगा ।

टिप्पण 3— अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान प्रतिसंदाय ऋण-प्रविष्टि के रूप में लाल स्याही में दर्शित किए जाएंगे ।

टिप्पण 4— (क) ब्याज सम्पूर्ण वर्ष के लिए वर्ष की समाप्ति पर जमा किया जा सकेगा ।

(ख) ब्याज, उस मास के, जिसमें प्रतिसदाय निविदत्त किया जाए या कर्मचारी स्थानान्तरित किया जाए या ब्याज की पुनरीक्षित दर लागू हो, ठीक पूर्ववर्ती मास की समाप्ति तक की अवधि के लिए जमा किया जाएगा ।

प्ररूप "च" (जारी)

भाग-ख

	अतिरिक्त मजदूरी	अतिरिक्त महंगाई भत्ता
I निक्षेप		
1.—अग्रानीत अतिशेष	रकम, जैसी कि वह———को थी*	रकम, जैसी कि वह———को थी*
(क) जिस पर ब्याज उपार्जित हो रहा है		
(ख) जिस पर ब्याज उपार्जित नहीं हो रहा है ।		
(ग) योग		
2. प्रतिसंदाय के लिए शोध्य रकम		
3. प्रतिसंदत्त रकम		
4. अतिशेष		
(क) जिस पर ब्याज उपार्जित हो रहा है		
(ख) जिस पर ब्याज उपार्जित नहीं हो रहा है		
(ग) योग		
II. ब्याज		
1.—अग्रानीत		
2. उपार्जित		
3. सदत्त		
4. अतिशेष		
III. वाउचर सं० और संदाय की तारीख		
(क) निक्षेप		
(ख) ब्याज		
IV. टिप्पणियां		

*प्रविष्टियां प्रति वर्ष की जाएंगी या उस स्थिति में उससे पूर्व की जाएंगी जब प्रतिसंदाय किया जाए या जब कोई खाता अन्तरित किया जाए या ब्याज की दर परिवर्तित की जाए। ऐसी स्थिति के घटित होने का मास या वर्ष स्तम्भ के शीर्षक में रिक्त स्थान में अभिलिखित किया जाएगा ।

टिप्पण 1— खाता-लेखा अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य) निक्षेप, 1974 की धारा 6 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर भाग 'ख' में रखा जाएगा ।

टिप्पण 2— ब्याज, उस मास के, जिसमें प्रतिसंदाय विर्विद किया जाए या कर्मचारी स्थानान्तरित किया जाए या ब्याज की पुनरीक्षित दर लागू हो, ठीक पूर्ववर्ती मास की समाप्ति तक की अवधि के लिए जमा किया जाएगा ।

प्ररूप "छ"

(पैरा 9 देखिए)

नाम निर्देशन प्ररूप

भाग –क

सेवा में;

मैं नीचे उल्लिखित व्यक्ति/ व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट करता हूं, जिन्हें, मेरी मृत्यु होने की दशा में, अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेपमें अधिनियम, 1974 के अधीन मेरे अतिरिक्त मजदूरी निक्षेप खाते / अतिरिक्त महंगाई भत्ता निक्षेप खाते में मेरे नाम में जमा रकम मेरी मृत्यु के समय देय होगी :—

क्रम सं०	नामनिर्देशिती का नाम	पूरा पता	जहां नामनिर्देशित अवयस्क है, वहां नाम निर्देशिती के जन्म की तारीख
1	2	3	4

2. क्योंकि ऊपर विनिर्दिष्ट क्रम संख्या (संख्याओं) के सामने उल्लिखित नाम निर्देशिती अवयस्क / हैं, मैं श्री ——————————(नाम और पूरा पता) को उस व्यक्ति के रूप में नियुक्त करता हूं जो मेरी मृत्यु होने की दशा में, नाम निर्देशिती की अवयस्कता की स्थिति में, उक्त खाते के अन्तर्गत शोध्य राशि प्राप्त करेगा

साक्षी——————————

नाम और पूरा पता

——————————

कर्मचारी के हस्ताक्षर

भाग–ख (विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भरा जाना है)

नाम निर्देशन ——————————को प्राप्त हुआ था और खाता लेखों में दर्ज कर दिया गया है ।

तारीख ——————————

——————————

विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के हस्ताक्षर ।

प्ररूप ज
(पैरा 9 देखिए)

पहले किए गए नामनिर्देशन के रद्दकरण या परिवर्तन के लिए आवेदन

भाग —क

सेवा में,

———————

———————

मैं, अतिरिक्त उपलब्धियां, (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 के प्रधीन अपने अतिरिक्त मजदूरी निक्षेप खाते और अतिरिक्त महंगाई भत्ता निक्षेप खाते की बाबत उस नामनिर्देशन को रद्द करता हूं जो मैंने किया था ।

*2. रद्दकृत नामनिर्देशन के स्थान पर, मैं नीचे उल्लिखित व्यक्ति/ व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट करता हूं जो मेरी मृत्यु होने पर, अन्य सभी व्यक्तियों का अपवर्जन करते हुए, उक्त खाते में शोध्य राशि के प्रतिसंदाय का हकदार बन जाएगा/ जाएंगे :—

क्रम सं०	नामनिर्देशिती का नाम	पूरा पता	जहां नामनिर्देशिती अवयस्क है, वहां नामनिर्देशिती के जन्म की तारीख
1	2	3	4

*3. क्योंकि ऊपर विनिर्दिष्ट क्रम संख्या/संख्याओं के सामने उल्लिखित नामनिर्देशिती अवयस्क है / हैं, मैं———————————— नाम और पूरा पता) को ऐसे व्यक्ति के रूप में नियुक्त करता हूं जो मेरी मृत्यु होने की दशा में, नामनिर्देशिती की आवयस्कता की स्थिति में उक्त खाते के अन्तर्गत शोध्य राशि प्राप्त करेगा ।

———————

कर्मचारी के हस्ताक्षर,

साक्षी ————————————

———————

(नाम और पूरा पता)

भाग —ख (विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भरा जाना है)

नामनिर्देशन ————————————————को प्राप्त हुआ था और खाता-बही में दर्ज कर दिया गया है ।

———————

तारीख ———————

विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के हस्ताक्षर ।

* यदि लागू न हो तो काट दीजिए ।

विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का लेखा

स्थापन का नाम
क्रम सं०

प्ररूप 'झ'
(परा 11 देखिए)

अतिरिक्त मजदूरी निक्षेप खाता

मास	चालान सं०	बाउचर सं०	संक्षिप्ति सं० और तारीख	मास के प्रारम्भ में निक्षेप का अतिशेष	निक्षेप को रकम	अन्तरित रकम	अन्तरित/ प्रतिसंदत्त रकम	मास की समाप्ति पर निक्षेप का इतिशेष	मास के प्रारम्भ में ब्याज का अतिशेष	खाते में अन्तरित ब्याज	अन्तरित/ संदत्त ब्याज	मास के लिए जमा खाते डाला गया ब्याज	मास की समाप्ति पर ब्याज	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
जोड़														

प्ररूप 'ञ' (जारी)

अतिरिक्त मंहगाई भत्ता निक्षेप खाता

मास	चालान सं०	वाउचर सं०	संक्षिप्ति सं० और तारीख	मास के प्रारम्भ में निक्षेप का अतिशेष	निक्षेप की रकम	खाता में अतिरिक्त रकम	खाता से अन्तरित-प्रतिसंदत्त रकम	मास की समाप्ति पर निक्षेप का इतिशेष	मास के प्रारम्भ में ब्याज का अतिशेष	खाता में अन्तरित ब्याज	खाता मे अन्तरित/संदत्त ब्याज	मास के लिए जमाखाते डाला गया ब्याज	मास की समाप्ति पर ब्याज	टिप्पणियां
				रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०		
(14)		(15)		(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
जोड़														

टिप्पणी 1—यथास्थिति प्ररूप 'क' या प्ररूप 'ख' में चालान की संख्या और तारीख चालान की संख्या और तारीख होगी ।

टिप्पणी 2—वाउचर संख्या और तारीख प्ररूप 'ट' 'प्रतिसंदाय की विशिष्टियां' में दी गई संख्या और तारीख होगी ।

टिप्पणी 3—संक्षिप्ति संख्या और तारीख प्ररूप 'ठ' 'संक्षिप्ति' में दी गई संख्या और तारीख होगी ।

प्रारूप—'अ'

(पैरा 12 देखिए)

नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी से अतिरिक्त मजदूरी और अतिरिक्त महंगाई भत्ते खातेमद्धे रकम के आदेश के लिए आवेदन

1. स्थापन का नाम :

2. कूट संख्या :

अतिरिक्त मजदूरी खाते मद्धे———रु०@ (केवल———रुपए) की राशि और अतिरिक्त महंगाई भत्ता खाते मद्धे———रु०@ (केवल———रुपए) की राशि जो नीचे उल्लिखित कर्मचारियों के लेखा-खातों में विद्यमान अनिवार्य निक्षेपों की रकमें हैं लेखा-खातों में जमा की गई अनिवार्य निक्षेपों की रकमों की प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम और अन्तिम किश्त हैं, *तथा———रु०@ (केवल———रुपए) और ———रु०@ (केवल ———रुपए) जो, नीचे लिखे ब्योरों के अनुसार, संबंधित निक्षेप खाते पर शोध्य ब्याज है, कर्मचारियों को प्रतिसंदाय के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है । वह राशि बैंक ड्राफ्ट/चैक द्वारा, जिसपर 'पाने वाले के खाते' शब्द अंकित हो, संदत्त की जाये ।

क्रम सं०	कर्मचारी का नाम	खाता फोलियो सं०/खाता सं०	अतिरिक्त मजदूरी		अतिरिक्त महंगाई भत्ता		टिप्पणियां**
			निक्षेप की रकम रु०	शोध्य ब्याज रु०	निक्षेप की रकम रु०	शोध्य ब्याज रु०	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जोड़							

प्रमाणित किया जाता है कि :

(1) स्तम्भ (4) और (6) के अधीन दर्शित रकमें संबंधित कर्मचारियों के संबंधित खाता-लेखाओं में वस्तुतः निक्षिप्त कर दी गई हैं और वे प्रतिसंदाय के लिए शोध्य रकमें हैं, और

(2) स्तम्भ (5) और (7) के अन्तर्गत दिखाई गई शोध्य ब्याज विदित रीति में और समय-समय पर लागू दरों पर संगणित की गई है ।

स्थान : विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख :

मुद्रा :

*यदि कोई लागू न हो उसे काट दीजिए ।

@ अंकों में शब्दों में अंकित कीजिए ।

**सेवा के पर्यावधान की तारीख और उसके कारण, जहां लागू होता हो, उपदर्शित करें ।

प्ररूप 'ढ'

(पैरा 12 देखिये)

कर्मचारियों के अतिरिक्त मजदूरी/अतिरिक्त मंहगाई भता मदों में प्रतिसंदायों की विशिष्टियां

1. *प्रश्न संख्या :
2. स्थापन का नाम :
3. कूट सं० :
4. संवितरणों की विशिष्टियां :

नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी से प्राप्त रकम			संवितरित की गई रकम			वापस किया गया अतिशेष		
चेक मांगदेय ड्राफ्ट की सं० और तारीख	मूलधन	ब्याज	मूल धन ब्याज संदाय की तारीख			मूलधन	ब्याज	चालान सं० और वापस की तारीख
	रु०	रु०	रु०	रु०		रु०	रु०	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क. अतिरिक्त मजदूरी निक्षेप खाता								
ख. अतिरिक्त मंहगाई भता निक्षेप खाता								

5. उन कर्मचारियों के नाम जिन्हें प्रतिसंदाय नहीं किए जा सके और उसके कारण।

क्रम सं०	कर्मचारी का नाम	प्ररूप 'ञ' में की क्र० सं० (स्तम्भ (10) और तारीख	कारण	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

स्थान :

विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के हस्ताक्षर :

तारीख :

मुद्रा ।

*क्रम सं० निरन्तर क्रम सं० होनी चाहिए ।

प्रारूप 'ठ'

(परा 13 देखिये)

अन्तरिम खाते की संक्षिप्ति

भाग 'क'

अन्तरक विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भरे जाने हेतु

1. *क्रम संख्या :
2. स्थापन का नाम :
3. कूट संख्या :
4. स्थानान्तरित कर्मचारी का नाम और पदनाम :
5. स्थानान्तरण की तारीख :
6. खाता फोलियो/खाता संख्या :
7. ----------से स्थानान्तरित (स्थापन का नाम, उसकी कूट संख्या और पता)
8. ----------को स्थानान्तरित (स्थापन का नाम, उसकी कूट संख्या और पता)
9. अन्तरित रकमों के ब्यौरे

	रकम	किस तारीख तक निक्षेप किया गया है	संगणित ब्याज	तारीख जिस तक स्तम्भ 3 में ब्याज जमा खाते की गई है	वे निक्षेप जो ब्याज अर्जित नहीं करता	
					रकम	**किस मास के मास से की बाबत / ***किस
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) (7)
(क)	अतिरिक्त मजदूरी निक्षेप					
(ख)	अतिरिक्त महंगाई भत्ता निक्षेप					

तारीख :

मुद्रा : विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का हस्ताक्षर :

*क्रम संख्या निरन्तर क्रम संख्या होगी ।

**अतिरिक्त उपलब्धियां अनिवार्य निक्षेप (सरकारी और स्थानीय प्राधिकारियों के कर्मचारियों से भिन्न कर्मचारी स्कीम 1974 के पैरा 10 का द्वितीय परन्तुक देखिये ।

***उक्त स्कीम के पैरा 10 का तृतीय परन्तुक देखिये ।

प्ररूप 'ठ' जारी

भाग 'ख'

अंतरिती विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भरे जाने हेतु

———————————के विस्तृत भत्ता लेखा, खाता फोलियो संख्या ———————————, ऊपर भाग 'क' में की संक्षिप्त सहिष, की प्राप्ति स्वीकार की जाती है । कार्यालय में रखे गए खाते में कर्मचारी को फोलियो संख्या/खाता संख्या ————आवंटित की गई है और उसके खाते में अन्तरित रकमों की आवश्यक विष्टियां कर दी गई हैं ।

फट संख्या :

स्थान :

तारीख : विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के हस्ताक्षर :

मुद्रा :

भाग 'ग'

उस नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भरे जाने हेतु जिसकी अधिकारियों में अन्तरिती **विनिर्दिष्ट प्राधिकारी कृत्य कर रहा है** ।

प्रमाणित किया जाता है कि अन्तरित रकमें अन्तरिती विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के अतिरिक्त मजदूरी निक्षेप खाते/महंगाई भत्ता निक्षेप खाते में जमा कर दी गई है ।

(* और सम्बद्ध निक्षेप अनिवार्य की सूचित कर दिया गया है) ।

स्थान :

तारीख : नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के हस्ताक्षर :

मुद्रा :

भाग 'घ'

उस नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भरे जाने हेतु जिसकी अधिकारिता में अन्तरक **विनिर्दिष्ट प्राधिकारी कृत्य कर रहा है** ।

प्रमाणित किया जाता है कि अन्तरित रकमें अन्तरक विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के अतिरिक्त मजदूरी निक्षेप खाते/महंगाई भत्ता निक्षेप खाते में नामे डाल दी गई हैं ।

(*और सम्बद्ध निक्षेप कार्यालय को सूचित कर दिया गया है) ।

स्थान :

तारीख : नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के हस्ताक्षर

*(यदि लागू न हो तो काट दीजिए) ।

प्रपत्र 'ङ'

(पैरा 14 देखिए)

————————————को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अतिरिक्त मजदूरी निक्षेप खाता और अतिरिक्त महंगाई भत्ता निक्षेप खाता का लेखा विवरण

1. कर्मचारी का नाम :
2. खाता फोलियो / खाता संख्या :
3. कार्यालय का नाम :

मद	अतिरिक्त मजदूरी निक्षेप खाता		अतिरिक्त महंगाई भत्ता निक्षेप खाता	
	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. अथ अतिशेष				
2. वर्ष के दौरान किए गए निक्षेप / अर्जित ब्याज				
3. वर्ष के दौरान किए गए प्रतिसंदाय / संदत्त ब्याज				
4. वर्ष की समाप्ति पर इतिशेष ।				

स्थान
तारीख
मुद्रा

विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के हस्ताक्षर :

(प्रतिपर्ण)

खाता फोलियो / खाता संख्या

†मैं उपरोक्त खाता विवरण को सही स्वीकार करता हूं ।

†मैं उपरोक्त खाता विवरण को निम्नलिखित कारणों से स्वीकार नहीं करता ।

स्थान

कर्मचारी के हस्ताक्षर :

तारीख

†जो लागू नहीं हो उसे काट दीजिए ।

प्ररूप 'ढ'

(पैरा 14 देखिए)

---------- को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए खाता लेखा की वार्षिक संक्षिप्ती

स्थापन का नाम----------

कूट संख्या----------

वर्णन	निक्षेप						ब्याज					
	पूर्ववर्ती वर्ष से अग्रनीत	खातों के अन्तरण के कारण इसमें अन्तरित	काटी गई और प्रेषित रकमें	प्रतिसंदत्त रकमें	खातों के अन्तरण के कारण इससे अन्तरित	वर्ष के अन्त में कर्मचारियों के नाम जमा इतिशेष	पूर्ववर्ती वर्ष से अग्रनीत	खातों के अन्तरण के कारण इसमें अन्तरित	वर्ष के दौरान अर्जित	संदत्त	खातों के अन्तरण के कारण इससे अन्तरित	वर्ष की समाप्ति पर कर्मचारियों के खाते में जमा रकमें
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
अतिरिक्त मजदूरी निक्षेप खाता												
अतिरिक्त महंगाई भत्ता निक्षेप खाता												

प्रमाणित किया जाता है कि स्तम्भ (7) के अन्तर्गत निक्षेपों के अन्तशेष और स्तम्भ (13) के अन्तर्गत उन पर ब्याज खाता लेखा में कुल अतिशेष के समान हैं।

तारीख

विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के हस्ताक्षर

मुद्रा

प्ररूप 'ण'

(परा 15 देखिए)

कटौतियों का प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान श्री/श्रीमती ---------- के अतिरिक्त मजदूरी निक्षेप खाते और अतिरिक्त महंगाई भत्ता निक्षेप खाते में जमा रकम---------- रु० (केवल----------रुपए) है ।

(विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान :

तारीख :

मुद्रा :

विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का नाम
और पूरा पता

प्ररूप 'त'

(परा 17 देखिए)

सरकारी खजाने में विलम्बित कटौतियां/प्रेषणों पर ब्याज के निक्षेप के लिए चालान

चालान संख्या : केंद्रीय

भाग क— प्रेषक द्वारा भरे जाने हेतु

1. प्रेषक : (यहां विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के ब्यौरे और स्थापन की कूट संख्या दर्ज करें)	
2. प्रेषण का प्रयोजन :	विलम्बित कटौतियों/प्रेषणों पर ब्याज
3. वह विभाग जिससे प्रेषण सम्बन्धित है।	वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), भारत सरकार
4. प्रेषण का प्राधिकार	अतिरिक्त उपलब्धियां अनिवार्य निक्षेप (सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों के कर्मचारियों से भिन्न कर्मचारी) स्कीम, 1974 का पैरा 17
5. संदत्त रकम :	————रु० (केवल———— रुपए)
6. खाता शीर्ष :	065 – अन्य प्रशासनिक सेवाएं–ग । अन्य सेवाएं – अन्य प्राप्तियां ।
7. वे लेखा अधिकारी जिनके द्वारा समायोज्य है : (यहां केन्द्रीय संव्यवहारों से सम्बद्ध, राज्य में महा लेखापाल का उल्लेख करें)	
8. संदाय करने वाले का, — (क) नाम : (ख) हस्ताक्षर :	
9. संदाय का स्थान : (यहां सरकारी खजाने/उप-खजाने का नाम दर्ज करें)	

भाग ख—सरकारी खजाने/उप-खजाने द्वारा भरे जाने हेतु

———————————रु० (केवल ———————— रुपए) प्राप्त किए ।

(तारीख सहित) हस्ताक्षर :

कोषपाल लेखापाल : खजाना अधिकारी

[सं० फा० 2(3)–अ०नि०/74]

जाह्नवीसंट, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974